

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

कमांक: प. 5(1)मं.मं./2024

जयपुर, दिनांक 01.02.2024

आदेश

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 06/2024 दिनांक 20.1.2024 की अनुपालना में निम्नानुसार समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. निवर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 14 दिसम्बर, 2023 के मध्य मंत्रिमण्डल एवं विभागीय स्तर पर लिए गए निर्णयों की समीक्षा ।
2. गत पाँच वर्ष के दौरान Non-BSR Item के माध्यम से हुए कार्यों की समीक्षा ।


उक्तानुसार निर्णयों की समीक्षा किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|---------|
| 1. श्री गजेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | -संयोजक |
| 2. श्री जोगाराम पटेल, मा0 मंत्री, संसदीय कार्य विभाग | -सदस्य |
| 3. श्री सुमित गोदारा, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | -सदस्य |
| 4. डॉ. मंजू बाघमार, मा0 राज्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग | -सदस्य |

उक्त समिति निर्णयों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तीन माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

समिति का प्रशासनिक विभाग मंत्रिमण्डल सचिवालय होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय होंगे ।

राज्यपाल की आज्ञा से


(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्रिगण ।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री ।
5. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग ।
8. रक्षित पत्रावली ।


प्रमुख शासन सचिव